

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 1, there is one Amendment (No. 1) by Shri Vivek K. Tankha. Are you moving it?

SHRI VIVEK K. TANKHA: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You are not moving it.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

**Statutory Resolution Disapproving the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020
(No. 5 Of 2020);
And**

***The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we will take up the second Bill listed for today. It is the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. There is also a Statutory Resolution. Both of them have to be discussed together.

Now, Statutory Resolution by Shri Binoy Viswam. Are you moving it?

SHRI BINOY VISWAM (KERALA): Sir, I move:

"That this House disapproves the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (No.5 of 2020) promulgated by the President of India on 22nd April, 2020."

Sir, I feel, the Bill, at the outset, is welcome and I welcome it. But, there is a serious lapse in the Bill. The lapse is as follows. The Bill talks about violence. Section 1A talks

*Discussed together.

about what constitutes violence. Section 1(a) defines what the 'violence' is. There have been many incidents of violence. What about the violence from within? Many Press reports are coming that in private hospitals, the healthcare workers and the frontline workers are treated very badly. Their salaries are not paid. Their PPE Kits are not safe. Their concerns are ignored. Even the pregnant women have to pay when they are COVID-infected. So, if this is a serious Bill to protect the ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Viswamji.

SHRI BINOY VISWAM: So, Sir, their sorrows, concerns, and their real issues are to be addressed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Binoyji. Resolution moved.

Now, Dr. Harsh Vardhan to move a Motion for consideration of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; AND THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, be taken into consideration."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Statutory Resolution and the Motion for consideration of the Bill are now open for discussion.

Mr. Minister.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I would like to give the background in brief.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please be very brief.

DR. HARSH VARDHAN: Yes, Sir.

In 1897, following cases of bubonic plague in Mandavi, which was then a part of the Bombay Presidency, and now in Gujarat, the British Government had actually got this Epidemic Diseases Act, 1897 framed.

This Act had basically two provisions. One, to empower the States so that they can further empower people to inspect places, like, railways and other such places; and,

[Dr. Harsh Vardhan]

then, those who were suspected to be carrying an infectious disease they could be quarantined or shifted to hospitals. Similarly, for the Central Government, it had powers so that if the Government feels that there was an impending danger of any infectious disease arriving in the country through ships and vessels, they had the powers to inspect and then isolate people who were either moving away from the ports or entering the ports. This was, Sir, broadly the Bill.

Now, we know that in this year 2020, there has been an extraordinary situation all over the world and also in our country. We got affected by this new virus -- COVID-19. And, if you would remember that after about two months of cases, when they started appearing, we had an unfortunate situation in the country because this virus was a new virus and this was a new infection. People did not know much about it. There were so many misunderstandings about the virus. There was a sense of stigma and discrimination that got attached to the people who got infected with this virus. Many of our health professionals, doctors, paramedical workers, and others who were associated with the healthcare delivery system, were either insulted or hurt, in some form or the other, when they -- after having done their duty so efficiently and so sincerely with utmost dedication -- were returning to their homes, they were treated with this stigma, they were not allowed to enter in their societies and their localities. And, when these people went for surveillance, they were either beaten or chased. So, situations like this had started appearing and had significantly reduced the morale of the healthcare workers. So, there was a very, very peculiar situation in the country and everybody was feeling so sad and bad about it, including the Government. That was the time when the Central Government thought they should proactively act on this situation. When we reviewed, we found that there were some minimal laws in some States, with limited powers, and there was a need to bring legislation or a law at the Central level which could ensure that there is some sort of a prohibitory mechanism which could put a stop to all these activities. That is why, in the context of that background, on 22nd of April, the Government of India brought this Ordinance. Through this Ordinance, we have, in fact, amended the Epidemic Diseases Act of 1897, whereby for those who are causing violence and hurt of any nature, grievance or insulting the medical professionals and others, it has been made a cognizable offence, which cannot be bailed out, a non-bailable offence, and also definite punishments have been prescribed in terms of imprisonment from three months up to five years, or, from six

months up to seven years, and, then, monetary fines, etc. This is broadly the crux of this particular Bill. The Government has risen to the occasion at an appropriate time, well in time. We have all noticed that after that, in fact, there has been a dramatic decline in the incidents of violence against the medical professionals all over the country. Those who have tried to resort to violence against the medical community have been punished. There is a provision that any investigation has to be done within 30 days and the results of the investigations and punishments etc., have all to be given within one year. So, the whole issue has been taken care of in a very comprehensive manner.

The questions were proposed.

श्री उपसभापति: थैंक यू। मोशन मूव हो चुका है, माननीय नीरज डांगी जी, आप बोलिए।
...(व्यवधान)...

श्री देरेक ओब्राईन (पश्चिम बंगाल): सदन कब तक चलेगा? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन सर ने कहा है कि इस बिल को पूरा करना है।
...(व्यवधान)...

श्री देरेक ओब्राईन: कम से कम डेढ़ बजे तक चलेगा।

श्री उपसभापति: अगर माननीय सदस्य cooperate करें तो हम लोग कर सकते हैं।
...(व्यवधान)... आप लोगों के हाथ में है। ...(व्यवधान)...

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, it is my maiden speech.

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन सर कह चुके हैं कि Maiden speech will apply next time. You will have that right.

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, मैं देश के सर्वोच्च सदन में अपनी पार्टी की ओर से पहली बार बोलने का मौका देने के लिए आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। 'Prevention is better than cure.' यह कहावत देश के बच्चे-बच्चे की ज़बान पर है और इसका अर्थ भी उनको मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने शायद न तो इस चीज को पढ़ा, न समझा और न ही समझने की कोशिश की, अन्यथा देश में कोविड महामारी को लेकर इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह का आलम न होता। 12 फरवरी को हमारे नेता श्री राहुल गाँधी जी ने ट्वीट करके कोरोना की गंभीरता को देश के सामने रखा था। उन्होंने इसके बारे में कहा था और लिखा था, "कोरोनावायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। मेरी समझ से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है, समय पर कार्रवाई आवश्यक है।" मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि आगाह करने के बाद भी केंद्र

[श्री नीरज डांगी]

सरकार ने इसे गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा और कोरोना की वजह से देश के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हुए। यह फरवरी का वह समय था जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपने विधान सभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थी। ये 8 फरवरी को निर्धारित किए गए थे, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के द्वंद्व में और इसके राजनीतिकरण में व्यस्त थी। इन लोगों की ओर भी कई व्यस्तताएं थीं। एक व्यस्तता यह भी थी कि केंद्र सरकार फरवरी माह के अंत में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टूर के स्वागत-सत्कार और आवभगत की तैयारियों में जुटी हुई थी। इस "नमस्ते प्रेजिडेंट ट्रम्प" थीम के नमस्ते ने ऐसा नमस्ते किया कि आज पूरा देश अब सिर्फ नमस्ते ही कर पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि इधर राहुल गाँधी जी बार-बार आगाह करते रहे, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कांग्रेस शासित सरकारों को तोड़-फोड़ करने में व्यस्त रही।

[उपसभाध्यक्ष (डा. सरिमत पात्रा) पीठासीन हुए]

ये मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में कामयाब हुए, लेकिन राजस्थान में इन्होंने जो तोड़-फोड़ की कार्रवाई करने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मुँह की खानी पड़ी। बिना किसी चर्चा के, बिना किसी परामर्श के, बिना सलाह-मशविरा के पूर्व निर्धारित तैयारी के बिना और बिना किसी रणनीति के नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान की तरह कोरोना के लिए भी 24 मार्च को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया था। इस फैसले ने देश को चौपट करके रख दिया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर आपके समक्ष सदन से कबीर जी का वह दोहा साझा करना चाहूंगा -

"निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय,

बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय"।

इसका अर्थ इतना सा है कि निंदा करने वाले लोगों को भी नजदीक रखना चाहिए, जो समय-समय पर आपकी गलतियों को आपको बता कर आपको दुरुस्त कर सकें, आपको निर्मल कर सकें। कांग्रेस सुझाव देती रही, पर गलतियाँ हो रही थीं और केन्द्र सरकार गलतियों की कार्रवाई की निंदा सुनने के लिए तैयार नहीं थी। केन्द्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन का प्रबंधन किया, वह विफल रहा। उसी तरीके से 8 जून को जो अनलॉकडाउन की कार्रवाई थी, उसके लिए भी सरकार पूरे तरीके से तैयार नहीं थी। फलस्वरूप देशवासियों को सरकार के कुप्रबंधन के कारण 1947-48 में आजादी के बाद इतने बड़े मानवीय पलायन की त्रासदी को झेलना पड़ा। उस त्रासदी से करोड़ों नौकरियाँ खत्म हो गईं, करोड़ों प्रवासी बरबाद हो गए, दैनिक वेतनभोगी और Self-employed लोग भी इसमें तबाह होकर रह गए। कई व्यापार, कई होटल, व्यवसाय, सब कुछ ठप हो गया। यहाँ तक कि 6.3 करोड़ MSMEs बंद हो गए। शायद उनमें से लगभग अधिकांश

हमेशा के लिए समाप्त हो जाएँगे। प्रवासी श्रमिक पलायन करके अपने-अपने कार्यक्षेत्रों को छोड़ कर पैदल ही अपने गृह जिलों की तरफ, अपने गृह क्षेत्रों की ओर निकल पड़े। उनमें से कुछ ने तो रास्ते में ही भूख-प्यास से दम तोड़ दिया और कड़ियों को कई मील पैदल चलना पड़ा। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को रास्ते में ही बच्चों को जन्म देना पड़ा। वे प्रसव की हालत में पैदल चलने को मजबूर थीं। कई लोग ट्रेनों के नीचे कट कर मर गए, लेकिन सरकार मौन थी। सरकार ने मौन धारण कर रखा था। * बिना पूर्व नियोजित कार्ययोजना के अचानक लॉकडाउन किया जाना, यह कतई उचित नहीं था। यह निर्णय खोखला साबित हुआ, जिसने देश को बरबाद कर दिया। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, ये सब बातें अब किताबी लगने लगी हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में ही GDP की, सकल घरेलू उत्पाद की जो परिस्थितियाँ हैं, वे सबके सामने हैं। 23.9 फीसदी की गिरावट, यह निश्चय ही चिंताजनक विषय है। परिस्थितियाँ इस तरह की रहीं कि आर्थिक तबाही का कारण सिर्फ कोरोना महामारी नहीं है, बल्कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण GST के चलते भी देश आर्थिक मंदी से पहले ही घिर चुका था। सरकार इस महामारी का बहाना बना कर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: कृपया बिल पर बोला जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): बिल्कुल, आप बोलिए।

श्री नीरज डांगी: मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)... मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज डांगी: यह आपको समझने की जरूरत है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): ऑनरेबल मेम्बर, आप बोलिए।

श्री नीरज डांगी: अगर आपने इसको समझ लिया होता, तो देश में यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। इस आर्थिक मंदी का आलम यह रहा कि लॉकडाउन के दौरान 80 लाख लोगों को 30 हजार करोड़ रूपए EPF से निकालने पड़े। ऐसी परिस्थितियाँ बनीं कि जो EPF वे अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के निर्धारण के लिए संचय करके रखते हैं, लोगों को उन्हें निकालने की आवश्यकता पड़ी। 80 लाख लोग, यह बहुत बड़ी संख्या है। देश में युवा, जो आज बेरोजगार हो चुका है, बेरोजगारी की दहलीज पर खड़ा होकर वह चीख-चीख कर केन्द्र सरकार से जवाब

[श्री नीरज डांगी]

माँग रहा है कि कहाँ है उसकी नौकरियाँ, कहाँ है उसका रोजगार! अफसोस, सरकार के पास न तो जवाब है और न ही उसके भविष्य निर्धारण के लिए सरकार के पास रोजगार है। ऐसी परिस्थितियों में आजादी से लेकर अब तक, जब राजीव गाँधी जी प्रधानमंत्री थे ...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): ऑनरेबल मेम्बर, आप कृपया टॉपिक पर बोलिए। Please talk on the topic.

श्री नीरज डांगी: 1988-89 में राजीव गाँधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो GDP की दर देश के उच्चतम स्तर पर, 10.2 प्रतिशत पर थी, वहीं 2006-07 में प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह जी के वक्त यह 10.08 परसेंट थी, फिर भी ये कहते हैं कि 70 सालों के अन्दर कांग्रेस ने क्या किया! प्रश्न अपने आपसे पूछिए, अपने गिरेबान में झाँक कर पूछिए। राजीव गाँधी जी ने उस वक्त 21वीं सदी के भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया था, वहीं यहाँ सरकार ने थाली बजवा कर, ताली बजवा कर, दीये जलवा कर देश की भोली-भाली जनता में ऐसा अंधविश्वास पैदा कर दिया कि उसे ऐसा लगा, जैसे यह देश को 15वीं सदी में धकेलने जैसा कार्य हो। सरकार में अपनी गलतियों को सुनने की और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही गलतियों को सही एवं दुरुस्त करने की मंशा भी होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैनेजमेंट के गुरु Peter Decker ने एक बार कहा था, "प्रभावी नेतृत्व भाषण देने या पसंद किए जाने में नहीं है। नेतृत्व परिणामों द्वारा परिभाषित होता है, गुणों द्वारा नहीं।" परिणामों द्वारा परिभाषित ऐसा ही प्रभावी नेतृत्व श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान ने दिया है, जिन्होंने कोरोनावायरस संकट का बेहतरीन प्रबंधन करके, अपने कौशल को साबित किया है। राजस्थान राज्य में जब भी कोई संकट आया है, तो मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेशवासियों के हित में ढाल बनकर हर चुनौती का सामना करने का कार्य किया है। गहलोत जी पूरे देश में ऐसे पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने राजस्थान के लगभग सभी विधायकों और सांसदों के साथ video conferencing के माध्यम से चर्चा की, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के क्यों न हों।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have got two minutes more. आपके पास दो मिनट और हैं।

SHRI NEERAJ DANGI: Sir, I was told that I have got 15 minutes. So, I have 11 minutes. This is my maiden speech and I must be given more time.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, this is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Maiden speech is not allowed in this Session. Hon. Member, you have two minutes more. आप प्लीज़ बोलिए।

श्री नीरज डांगी: उन्होंने राजस्थान में जिस तरह से कार्य किए, मैं राजस्थान की झांकी इसलिए दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान की तर्ज पर अगर केन्द्र सरकार ने भी फैसले लिए होते, तो शायद देश का आलम आज कुछ और ही होता। उन्होंने 78 लाख पेंशनर्स को अंतिम दो महीने की अग्रिम पेंशन दी। आज माननीय दिनेश जी ने एक बात कही थी कि अगर ऐसे needy persons के खातों में डालते, तो शायद उनकी जरूरत पूरी होती। राजस्थान ने 33 लाख लोगों को 2,500 रुपये की सहायता राशि जारी की। पैसा लोगों के हाथ में आएगा तभी उपभोग बढ़ेगा, तभी निवेश आएगा, तभी नौकरियां पैदा होंगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी और तभी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। लॉकडाउन के विगत चार महीनों में GST compensation के 6,990.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार को केन्द्र को जारी करने चाहिए थे, जो नहीं मिले। इसके अतिरिक्त, जब compensation की कमी को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार से बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि compensation की कमी को आप ऋण के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा विकल्प देकर केन्द्र की सरकार ने स्वीकार कर लिया कि GST compensation की कमी को वित्त पोषित करने की केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री नीरज डांगी: इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर केन्द्र सरकार को सुझाव दिया था कि 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे 'सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण निर्माण परियोजना' की आवश्यकता शायद इस वक्त नहीं है, बाद में हो सकती है। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। सोनिया गांधी जी ने कहा - राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और नौकरशाहों की सभी विदेश यात्राओं को स्थगित किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त यह कहना चाहूंगा कि व्यस्तता पुनः कहीं और ही रही। चन्द उद्योगपतियों के फायदे के लिए व्यस्तता राजकीय उपक्रमों का निजीकरण करने में रही। देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने के बजाय धन की आड़ में, सरहद की आड़ में परेशानियों से...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, hon. Member. You will have to conclude.

श्री नीरज डांगी: सर, मैं एक लाइन के साथ कन्क्लूड कर रहा हूँ। कुल मिलाकर देश में डर का माहौल है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Hon. Member, I have to move on. Your time is over.

श्री नीरज डांगी: सर, मुझे एक शेर के साथ कन्क्लूड करने की इजाजत दी जाए। अंत में देशवासियों के लिए और जो कोरोना की जंग में संघर्षरत हैं, लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स

[श्री नीरज डांगी]

हैं, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, समाजसेवी, मीडियाकर्मी आदि हैं, जो कोरोना से लड़ने में अपने स्वास्थ्य की और जान की परवाह किए बिना जूझ रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से कुछ पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित करना चाहूंगा -

"बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा।
संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा।
उटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो।
एक दिन ये ज़माना तुम्हारे गीत गाएगा।।"

जय हिन्द!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Member, Ms. Saroj Pandey.

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): Sir, I have got a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, hon. Member.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मेरा एक point of order है। माननीय सदस्य जी ने अभी अपनी मेडन स्पीच दी, लेकिन यहां पर कोई भी सदस्य अगर कोई तथ्य रखता है, तो उसमें सत्य होना चाहिए। इन्होंने जिस * या तो उसके सम्बन्ध में ये कोई तथ्य यहां पर रखें, अदरवाइज़ सदन के समक्ष एक तरीके से यह गलत तथ्य उन्होंने रखा है। माननीय सदस्य या तो उसको प्रमाणित करें, वरना सदन की कार्यवाही में, इनके भाषण में से उससे निकाला जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, we would go into the records and examine it. Now, hon. Member, Ms. Saroj Pandey.

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 के समर्थन में इस सदन में अपना पक्ष रख रही हूं। पूरा देश एक अजीब हालात से गुजर रहा है और इस हालात में सरकार ने जिस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि देश के प्रधान मंत्री जी को पूरे देश ने साधुवाद दिया है। जिस प्रकार की परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों में देश के प्रधान मंत्री जी ने जिस कार्य योजना के साथ धीरे-धीरे इन परिस्थितियों से निकालने की शुरुआत की, उन पर लोगों का विश्वास बढ़ा और इसका प्रमाण पूरे देश ने अपने समर्थन से उन्हें दिया है। महामारी से निपटने के लिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने विषय में बताया है कि सन् 1897 में तत्कालीन अंग्रेज़ शासकों के द्वारा महामारी की रोकथाम में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उसे विशेष अधिकार प्रदान करने के

*Expunged as ordered by the Chair.

12.00 Noon

लिए कानून बनाया था। पूरे 123 सालों के बाद वर्तमान में 22 अप्रैल, 2020 को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को जारी किया गया, जिसमें बिल की कुछ कण्डिकाओं में वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किये जाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। हमारे प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को लाने के पीछे जो मंशा थी, कोरोनावायरस से फ्रन्ट लाइन पर बहादुरी से लड़ रहे हमारे हर स्वास्थ्यकर्मी की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता मज़बूती से है। यह हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं होने देंगे। इन विषयों को लेकर यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

महोदय, यह सर्वविदित है कि किसी भी संकट से लड़ने के लिए सुरक्षा का पहला गेरा सबसे महत्वपूर्ण होता है और अगर हम देश की सीमाओं की बात करें तो हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह किये बिना जिस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश से डटे रहते हैं और दुश्मन से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ऐसा ही एक संकट आज हमारे सामने है। यह संकट सीमाओं पर दुश्मनों से नहीं, बल्कि कोरोनावायरस कोविड-19 के रूप में सामने आया है। कोविड-19 आज पूरे विश्व में एक गम्भीर चुनौती बनकर उभरा है और इस चुनौती से भारत देश ने बहुत मज़बूती से लड़ाई लड़ी है। हम भारतवासी जिस प्रकार से इस घटनाक्रम से बाहर निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सूझ-बूझ के साथ में इस पर कार्य किया है, लेकिन ऐसे समय पर जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वे स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स है, जिस पर कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत मज़बूती से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं।

महोदय, संचार के विभिन्न माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इन सभी में हमने देखा कि कैसे हमारे हैल्थ वर्कर्स को हैरास किया जाता है, कैसे उन पर हमले किये गये, किस प्रकार से वे लोग स्वयं की जान को जोखिम में डालकर स्वयं के संक्रमित होने की संभावनाओं को जोखिम में डालकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कोरोना वॉरियर्स पर कुछ हमले हुए। 2 अप्रैल, 2020 को इन्दौर के टाटपट्टी बाखल में महिला स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया गया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 2 अप्रैल, 2020 को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने जिस प्रकार से डॉक्टर और हॉस्पिटल पर हमला किया, 20 अप्रैल को कर्णाटक में हमला हुआ, 14 अप्रैल को दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर पर हमला हुआ, 15 अप्रैल को भी हमला हुआ तो सरकार इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 22 अप्रैल, 2020 को इस अध्यादेश को लाई। यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 123 सालों के इस लम्बे अन्तराल के बाद सरकार ने अगर इस अध्यादेश को लागू करने की कोशिश की तो उसके पीछे यह कारण था। आज देश में देश के प्रधान मंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जिस प्रकार का सम्मान प्रदर्शित किया, पूरा देश उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़ा रहा।

[सुश्री सरोज पाण्डेय]

कहीं हमने उन पर पुष्पों की वर्षा की, आकाशीय क्षेत्र से उन पर पुष्पों की वर्षा की गयी, ताकि उनका मनोबल बढ़े। वे अपनी जान जोखिम में डाल कर हमारे लिए खड़े हैं। वे अपनी जान, अपने परिवार, सभी की चिन्ता छोड़ कर-- कई लोग तो अपने परिवारों से लम्बे समय के अन्तराल में मिल नहीं पाये। वे अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे, अपनी बच्ची को देखना चाहते थे, लेकिन वे जा नहीं पाये। कारण सिर्फ इतना ही था कि वे अपने परिवार को संक्रमण से दूर रखना चाहते थे। लोग महीने-महीने तक मज़बूती के साथ काम करते रहे। प्रधान मंत्री जी ने उनके इस कार्य के प्रति उनके कर्तव्य की सराहना की। पूरे देश ने उनकी हाँ में हाँ मिलायी।

आज मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है कि इस सदन में जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ता ने विषय को परिवर्तित करने की कोशिश की, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी विषय पर-- यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। राजनीति करने के लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। आप राजनीति करने के लिए किसी और क्षेत्र को चुनते, लेकिन राजनीति आपने कोविड-19 पर की, अपने नेताओं को खुश करने के लिए हमारी संवेदना से आपने खेलने की कोशिश की और आपने उनके कर्तव्यों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया। ...**(व्यवधान)**... जो कोरोना वॉरियर्स आपके यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे, आपके लिए काम कर रहे थे, ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, भले हम संक्रमित हो जाएँ, लेकिन आप सुरक्षित रहें, आपने उन पर कहीं एक शब्द भी नहीं बोला। 'निन्दक नियरे राखिए', लेकिन जो केवल और केवल निन्दा करता हो, ऐसा निन्दक अगर साथ रखिएगा, तो हमेशा दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा होती है, जैसी आज इस सदन में पैदा हुई है।

कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए, इस संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को क्षति से बचाने के लिए वर्तमान बिल में कुछ प्रावधान भी किये गये हैं। सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है। महामारी से लड़ने में जुटे हमारे कोरोना वॉरियर्स पर अगर हमला होता है, तो इसके लिए 3 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है तथा 50,000 से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ हिंसा से यदि उसे गम्भीर क्षति पहुँचती है, तो यह सज़ा 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार ने इन विषयों पर बेहद संवेदनशीलता के साथ विचार करके ये प्रावधान किये हैं। मैं सरकार को इस विषय के लिए साधुवाद देती हूँ, माननीय मंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गैर-जमानती है, 30 दिनों में इस पर निर्णय होना है। यह एक बड़ा विषय है। इस बिल में इन अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है, ताकि आपराधिक तत्वों में कानून का भय व्याप्त रहे और हमारे इन स्वास्थ्यकर्मियों पर कोई हमला या दुर्व्यवहार करने का साहस नहीं कर सके। अगर हम उन पर

हमला करते हैं, अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिन्ता किये बिना आपके लिए लगातार खड़ा है, उसका मनोबल गिरता है, उसके परिवार का मनोबल गिरता है। ऐसी महामारी के समय में कोई व्यक्ति सामने आने का साहस नहीं कर पायेगा। सरकार ने उनके साहस, उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए ही ये विषय रखे हैं। यह प्रावधान उन तत्वों को भी हतोत्साहित करेगा, जो शासकीय सम्पत्ति का नुकसान करते हैं और विभिन्न शासकीय तथा स्वास्थ्य संस्थानों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाते हैं। कानून न होने के कारण ये लोग नुकसान करने के बाद बच जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और वे फिर दोबारा इस प्रकार की हरकत करने का साहस जुटाते हैं। अब इस कानून की मदद से ऐसे लोगों को अपने गुनाह का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने धरती पर अगर किसी को भेजा है, तो हमारे इन कोरोना वॉरियर्स को, स्वास्थ्यकर्मियों को, डॉक्टरों को भेजा है। हमारे देश में, पूरे विश्व में चिकित्सक और चिकित्साकर्मियों को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे हर दर्द, हर तकलीफ़ को दूर करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ जो घटना हुई, वह बहुत ही वेदनापूर्ण है और असहनीय है। अपने इन साथियों को उन पर होने वाले हमलों और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, इसका मैं समर्थन करती हूँ। मैं मानती हूँ कि यह हमारा दायित्व है कि जो लोग हमारे लिए अपने प्राणों को खतरे में डाल रहे हैं, जो अपने परिवारों से दूर रह कर अपने फर्ज को निभा रहे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ने इस विधेयक को लाकर इस बात को प्रमाणित किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Thank you, Sir. Whenever any legislation or ordinances come here, we always tell ourselves, we need to look at this in a backdrop. And, what is that backdrop? The backdrop is that in the 2019 Lok Sabha elections, the BJP Government led by Narendra Modi won 303 seats with 37 per cent vote share. We remember that. At the same time, I would like to request this Government to also remember that the States of West Bengal, Punjab, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Jharkhand, Chhattisgarh, Delhi and Rajasthan rejected you. The Chief Ministers there are elected to run their States. You cannot cross the constitutional bar. You do your work; let them do their work. They are elected Chief Ministers. Today, we are passing the 'e' Bill. It is an eight letter word, 'epidemic'. But, in 1975, there was another 'E' word, which somebody tried to cross, and, then, you know what happened. Sir, sinister provisions are also there in this Bill.

[Shri Derek O' Brien]

Of course, we want to take care of healthcare workers. Who does not want to? You thought about it in 2020. My State West Bengal has the West Bengal Medicare Service (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009. What happens to this Bill? You are poking your nose into my State. You are not elected there. See at Amendment 2(a). Look at the original Bill. Now, the Bill says that you can search without any reason. It gives unqualified power to the Central Government; bus, train, everything. Sir, this is an attempt to encroach upon the constitutional assigned functioning of the States. Do not use the excuse of 'epidemic'. Please don't. Sir, look at the imposition of fine. Yes, you can impose fine. We have got the Bill already. But what are you trying to do? The States must be authorised to take decisions at the level of States. It prescribes a fine up to five lakhs of rupees or up to seven years punishment. You cannot take away the right of the States. BJP is now telling us not to do politics. Of course, we also do not want politics, and, that is why, we have not given any amendments. In the true spirit of 'no politics', I am not moving any amendment. I am going to give the Government some real suggestions. Let them see whether my suggestions are making sense or not.

Sir, Bengal has the Clinical Establishment Regulatory Commission headed by a High Court Judge. It is of 2017. It has capped private hospitals overcharging patients; also for all the tests. Why don't you consider this? As far as health insurance is concerned, your health insurance like our health insurance in Bengal is for ₹ 10 lakhs. It covers healthcare workers, ward boys, ward girls. Okay. Good but what about the allied workers. In Bengal, allied workers are also covered.

Third suggestion is about psychological stress, mental health of doctors and healthcare workers. It is not covered. Please take our suggestion and bring it in the rules.

Sir, the Centre is paying sixty per cent for all the schemes and the States are giving forty per cent for all the schemes. But when it comes to taking credit, the Centre wants to take all the credit. As far as Ayushman Bharat is concerned, you thought of Ayushman Bharat, it is very good. Imitation is the best form of flattery. West Bengal had Ayushman Bharat two years before you. It is fully cashless, paperless. The card is not in the name of the man, it is in the name of woman of the house. It includes the wife's parents. You can use it for private hospitals. You can go outside.

But, what do we hear from the BJP; this we did it first, this we did it first. Look at the States. Don't only look at West Bengal. Look at other States. The only time you get interested in a State is when you want to manufacture a majority. You wanted to manufacture majority in Madhya Pradesh, you got excited; in Karnataka, you get excited; in Manipur, you get excited. ...(*Interruptions*)... Sir, I am going to stop. And, of course, today one of your most loyal State allies also told you to take a walk. But that is another story, Sir. The Centre cannot impose its will on the States. It is constitutionally wrong. We will have a debate next week on GST and we will tell you about it.

Sir, in conclusion, since you are talking a lot about the British, 1892, there are only three Parliamentary democracies in the world which still have this ordinance raj possible -- India, Pakistan and Bangladesh. So, the emergency ordinance route is dangerous. And I want to end, Sir, by saying something very interesting. Before I joined politics, I used to do quizzing once for my livelihood. Where did these ordinances actually come from? It is interesting. It comes from the Government of India Act, 1935. That is the route of all these ordinances. And why? Because the Viceroy could pass anything he wanted at any point. Sir, the Viceroys and their attitude have gone, but the attitude of arrogance still remains with this BJP Government. Thank you, Sir.

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, I support the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020. Sir, the Ordinance defines healthcare service personnel as a person who is at risk of contracting the epidemic disease while carrying out duties related to the epidemic. The act of violence includes any of the following acts committed against a healthcare service personnel: harassment impacting living or working conditions; harm, injury, hurt, or danger to life; obstruction in discharge of duties, and loss or damage to the property or documents of the healthcare service personnel. The Act also specifies that the Central Government may regulate the inspection of any ship or vessel leaving or arriving at any port and the detention of any person intending to travel from the port, during an outbreak. The Ordinance expands the powers of the Central Government to regulate the inspection of any bus, train, goods vehicle, ship, vessel, or aircraft leaving or arriving at any land port, port or aerodrome. The Ordinance specifies that no person can commit or abet the commission of an act of violence against a healthcare service personnel. My suggestion is that if an act of violence against a healthcare service personnel causing grievous harm is committed,

[Shri A. Vijayakumar]

the person committing the offence will be punishable with imprisonment between six months to seven years and a fine between rupees one lakh to five lakh. These offences are cognizable and non-bailable. Persons convicted of offences under the Ordinance will also be liable to pay compensation to the healthcare service personnel whom they have hurt. Such compensation will be determined by the Court. In the case of damage or loss of property, the compensation payable to the victim will be twice the amount of the fair market value of the damaged or lost property, as determined by the Court. If the convicted person fails to pay the compensation, the amount will be recovered as an arrear of land revenue under the Revenue Recovery Act, 1890.

The cases registered under the Ordinance will be investigated by a police officer not below the rank of Inspector. The investigation must be completed within 30 days from the date of registration of the FIR. The inquiry or trial should be concluded within one year. If it is not concluded within this time period, the Judge must record the reasons for the delay and extend the time period. However, the time period may be extended for more than six months at a time. When prosecuting a person for causing grievous harm to healthcare service personnel...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: The court will presume the person guilty of the offence unless the contrary is proved. I am supporting this Bill. I also thank the corona warriors of the country. Thank you, Sir.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, महामारी अधिनियम में लगभग सवा सौ वर्षों के बाद कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। यह विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है, क्योंकि कोई महामारी पहले से घोषणा करके या किसी की अनुमति लेकर नहीं आती। कुछ विषम परिस्थितियाँ होती हैं और उन विषम परिस्थितियों में जो इंतजाम किए जा सकते हैं, वे सरकारें करती हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा, जो यहाँ इससे पहले कही गईं। मैं अपने आपको केवल इस विधेयक तक सीमित रखूँगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा चार-पाँच मिनट ही होंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, दिल्ली में भी मिनिस्टर रहे, बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। आपने इस विधेयक में जो संशोधन किए हैं, ठीक है, वे होने चाहिए थे, लेकिन इसका जो एक दूसरा पक्ष है, उसको बिल्कुल नहीं देखा गया, उसको नज़रअंदाज़ किया गया। जैसे, जब महामारी आई, तो सब जानते हैं कि इस देश में कुछ लोगों की आदत है कि वे उस महामारी को या

उन विषम परिस्थितियों को अपनी कमाई का ज़रिया समझ लेते हैं। कई जगह, चाहे वे केन्द्र सरकार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कुछ राज्यों की सरकारों से जुड़े हुए लोग हों, उन्होंने पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में या थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो थर्मामीटर्स खरीदे जाते हैं, ऑक्सीमीटर्स खरीदे जाते हैं या मास्क एवं सैनिटाइज़र्स खरीदे जाते हैं, उनकी जो वास्तव में कीमतें हैं, उनसे बहुत ज्यादा कीमतों में खरीदकर State Exchequer को लॉस पहुँचाया, ऐसे लोगों के खिलाफ दंडनीय व्यवस्था होनी चाहिए, इसका कोई प्रोविज़न इस विधेयक में नहीं किया गया है।

दूसरा, कुछ ऐसी दवाएँ आई और उनका प्रचार हुआ कि इससे मरीज ठीक हो जाएगा, उनको बड़े पैमाने पर ब्लैक में बेचा गया। पहले लोग उन्हें गायब कर देते हैं और फिर जो आदमी समझता है कि मेरा जीवन इससे बच सकता है, वह 10 हजार रुपये के इंजेक्शन को एक लाख रुपये में खरीदने के लिए विवश हुआ। इस तरह की दवा बेचने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रोविज़न भी इस विधेयक में होना चाहिए, क्योंकि जब-जब ऐसा अवसर आएगा, तो इस तरह के लोग, ऐसी ब्लैक शीप्स इस प्रकार के काम करेंगी।

अब निजी अस्पतालों की बात आती है। सारे लोग कहते हैं कि साहब, एम्स में भर्ती करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन वहाँ की अपनी सीमाएँ हैं। निजी अस्पतालों में जाते हैं, तो एक-एक दिन में एक-एक लाख रुपया लगता है।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): ज्यादा सर।

प्रो. राम गोपाल यादव: इससे और ज्यादा भी लगते हैं। जब आपातकाल हो, विशेष परिस्थितियाँ हों, असामान्य परिस्थितियाँ हों, तो गवर्नमेंट को किसी पर भी restriction लगाने का अधिकार होता है, यह नहीं कि वह केवल सरकारी लोगों पर ही लगा सकती है। सरकारी हो या गैर-सरकारी, चाहे कोई भी हो, इस तरह के अस्पतालों में निश्चित करना चाहिए कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका कोई प्रोविज़न इसमें नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मेरा एक सुझाव है, जो इसमें होना चाहिए था। अगर कोविड-19 से कोई व्यक्ति मरा है और वह अपने परिवार का अकेला breadwinner है, तो उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद का प्रोविज़न भी इस विधेयक में किया जाना चाहिए था, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे केसेज़ आते हैं। ऐसी समस्याएँ कभी-कभार ही आती हैं और इसलिए यह उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन यह प्रोविज़न होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय सदस्य, you have to conclude.

प्रो. राम गोपाल यादव: मान्यवर, मैंने सुझाव दे दिए हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना था, मुझे तो सुझाव देने थे। यहाँ इधर से या उधर से लोगों ने जो कुछ बातें कही हैं, उनमें से कुछ बातों से मैं अपने आपको संबद्ध करता हूँ और कुछ बातों से असंबद्ध भी करता हूँ। उनको मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Bill.

Sir, when the lockdown was announced in March, 2020, it was done without any preparation by the Central Government and even the State Governments were not consulted with the result that you could see the pathetic sight of people, inter-State migrant labour, street vendors, autorickshaw drivers, barbers, washermen, etc. The Government has not brought forward any effective scheme for these downtrodden people. Even for the death of inter-State migrant labourers who undertook journey in the horrible and inhuman conditions, their near relations were not paid any compensation by the Railways. The epidemic disease cannot be controlled by simply imposing fine and imprisonment against poor people who are already living under abject poverty. Therefore, the Government should bring forward a Bill for suitable packages for ameliorating the lives of these people.

Sir, the corona virus has no medicine. The Government says and advises that people should live very cautiously in their homes. For that, they have to stay with masks. But they cannot go out of their houses. How will they live? Will the Government support the ordinary and poor people? It is not done. I want to speak about migrant labour. We are asking for a national register for migrant labour. But none of the Governments is serious about this issue. The migrant labour is utilized in organized and unorganized sectors. Even in the organized sector, they don't have any protection. When they need labour, they bring them by air or in air-conditioned buses. Afterwards, they throw them away. Hence, they have to walk with their children, elderly parents and pregnant women. What action are you going to take against the contractors who brought those poor workers and left them without any notice?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI M. SHANMUGAM: PSUs, MNCs and IT sector sent away all contract, casual and outsourced people without paying them. Labour should not be treated as a commodity that if you want you can take and if you have problem, you can throw them away without any notice.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI M. SHANMUGAM: Yes, Sir. The Ministry of Home Affairs issued a circular.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, we are running out of time.

SHRI M. SHANMUGAM: Circular stated that all the employers should pay wages without any deduction; nobody should be retrenched or dismissed from service.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI M. SHANMUGAM: Only one minute! It is very unfortunate that the same Ministry of Home Affairs filed an affidavit before the court stating that the Government withdrew that circular because the employers filed a petition that they are not able to pay. It proves that this Government is working for the employers and not for the working class. Thank you, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a very short intervention to make. I will not take much time. There is no blame-game here at all. If I am trying to tell you something, it does not mean that we are opposed to you. Everyone is concerned about the epidemic and what is happening around us. If some suggestions are made by Prof. Ram Gopal Yadav, you must take it as a part of it. So, kindly do not take it as a blame game. We are not interested in blame game. Now, you have come out with a Bill that is going to protect our great warriors of this epidemic. My salutations to them because it is they who have been at the forefront and have been helping us very much. Unfortunately, they have been subjected to some kind of a harassment which nobody would tolerate.

Sir, what is happening is this. They were not only badly handled, their morale really affected. Now, let us think, it is not only they who need your protection but even the other people around. Take for example; Ram Gopalji has talked about the private hospitals. Let me tell you with all authority and responsibility that a private hospital had charged 90 lakhs for one patient -- the case had gone up to the Court in Hyderabad and they have won -- to give the corpse; the man was dead by that time. For such kind of a thing, a protection is needed from the Centre -- whether the Centre or State -- and as Mr. Derek said, it is a State subject. We were handling it so well. You had AYUSH, we had our own insurance scheme. You had this one Advisory; we had State orders going around. But, today, you do not care for what exactly the State is doing. I am not trying to tell you because this is an ordinance-raj. In ordinance-raj, even my words, perhaps, would not convince. Now, in this case, what I am trying to seek is that we

[Dr. K. Keshava Rao]

need protection as far as the hospitals are concerned. The Centre can think of some order because as he said, it is not only for the Government hospitals, even private hospitals have a right to do that. Now, there are dead bodies. You know the conditions of the dead bodies. Now, let us come out with some kind of a mechanism where the Central Government or State Government or some agency takes care of it. The dead bodies were piling up in one of the hospitals when I went there but it was sent somewhere. So, this also must be taken into consideration as far as that aspect is concerned.

Now, let us take, for example, buses. Ram Prasadji said, I should not use the word migrant labour. I would say, the labour from other State, they were here. When they were going back, all of a sudden you stopped the trains and the buses. You asked the State Government to stop the inter-State buses. Now, that affected those labourers' movement. So, now, alright, you have asked us to do it. You come into the picture, intervene and try to give us some kind of a solution or advisory in such cases. Though it is over now, but what I am saying is this. Let this Central Government, before interfering with the State laws or State powers or State rights, also think what exactly the State wants to do. Consult the States. Whatever a State wants, please help them if you can as you owe us a lot of money on GST. Please try to give us, we would do our job. This is what we are trying to say.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. I would only give two or three important bullet points and suggestions. So, please allow me.

Sir, I deeply regret to bring to your kind notice that there has been a systematic increase in incidents of attacks and harassment of nurses, doctors and other medical personnel. We need to have a zero tolerance policy towards the attacks on our COVID warriors. They are the ones who are putting their lives on the line for the country. Doctors need a moral boost. I agree with the press briefing of the Ministry of Health which says that there have been attacks and unwarranted violence and harassment against the medical professionals. Such a situation tends to hamper the medical community from performing their duties to their optimum best and maintaining their morale which is a critical need in this hour of national health crisis. Sir, I am witness

to the very good work done by Visakha Institute of Medical Sciences which is in Andhra Pradesh and the city name is Visakhapatnam. They put their heart and soul into their jobs and take care of their patients selflessly.

Sir, the Epidemic Diseases Bill was tabled on 28th January, 1897, during an outbreak of bubonic plague in Mumbai. It has been over 120 years and, therefore, these changes are needed in this Act.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you need to conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, one or two points.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No; we don't have that time. Finish quickly.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: The Epidemic Act should be extended beyond the doctors to include sanitation and other cleanliness workers to save them from any further bureaucratic excesses. In the current situation, these workers are also facing a similar type of stigmatization, unwarranted violence and harassment. We should have further amendment to the Epidemic Act to define the term Epidemic or Disease and also the Act does not talk of strict measures or directions to the Government to follow at the time of epidemic.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you are out of your time. Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I will say only one point. The Epidemic Act should create a special body consisting of epidemiologists, virologist and immunologists.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, I will have to move. I will have to move on. Please conclude. I will have to move on.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: And, the Government officials who shall decide the course of action for the Government wherever the epidemic is declared.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मेडिकल प्रोफेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि यह एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

इस प्रोफेशन में जो लोग हैं, उनका धर्म ही मानव की सेवा करना होता है, जो पीड़ित होते हैं, उनकी सेवा करना होता है। हमारे जितने हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनके लिए समाज का और सरकार का यह दायित्व होता है कि उनका मनोबल बनाए रखे, उन्हें सुरक्षित रखे, ताकि उनको अपने कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और इसलिए आपने देखा कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने उनके लिए इंश्योरेंस की घोषणा की। हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है और श्री नीतिश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अलग से उनको एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया और साथ ही एक कानून भी बनाया गया। मैं इस कानून की सराहना इसलिए करता हूँ कि यह सिर्फ कानून ही नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे बिल्कुल अंत तक cognizable बनाया गया है, non-bailable बनाया गया है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। Grievous के लिए अलग से है। साथ ही साथ सबसे important है कि आज एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसमें time-bound investigation का टाइम नहीं रहता है। इसमें तीस दिन का टाइम है। उसके बाद जब यह कोर्ट में जाएगा, तो वहां भी एक साल के अंदर ही इसका ट्रायल हो जाना है। अगर एक साल के अंदर नहीं होगा, तो जज साहब को उसमें कारण दिखाने पड़ेंगे और अगले छह महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा निस्तारण करना पड़ेगा। इसलिए उस हिसाब से यह बहुत ही अच्छा कानून है। इतना ही नहीं अगर उनकी संपत्ति का नुकसान होता है, तो संपत्ति के नुकसान के लिए उनको मुआवजा देना पड़ेगा और यदि वे मुआवजा नहीं दे पाएंगे, जैसा हम रेवेन्यू में कहते हैं, as arrears of Land Revenue Act के तहत वसूल किया जाएगा। निश्चित रूप से इस कानून से हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वे सुरक्षित महसूस करेंगे और बेहतर ढंग से समाज की सेवा करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you hon. Member. Next is, hon. Member, Prof. Manoj Kumar Jha.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you hon. Vice-Chairman, Sir. It is nice to see you sitting there. It is your maiden day and compliments from my side.

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे समक्ष हैं, तो मैं सीधे संवाद करना चाहता हूँ। पहले लॉकडाउन के बाद आपका रेडियो और मोबाइल का मैसेज बदल गया। आपने कहना शुरू किया कि बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। लेकिन तब तक नुकसान हो गया था। देश में लोग बीमार से लड़ने लगे थे। एक राज्य है, जहां सिंगल सोर्स नाम का एक डेटा आने लगा और उस दौर की टेलीविजन डिबेट्स भी देख लीजिए, तो माननीय मंत्री महोदय, वह हमारे बौने कद को दर्शाता है। मैं जानता हूँ कि आपके नेतृत्व में पूरा देश और हम सब मिलकर कोरोना संक्रमण से तो निकल लेंगे, आज नहीं, तो कल, लेकिन यह जो ज़हर हमारे समाज में बो दिया गया है, उससे कब निकलेंगे, इस संबंध में मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। एक राज्य है और मेरा ही राज्य है। उन्होंने मज़दूरों को यह कह दिया कि कोरोना carriers हैं और तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गईं। Bubonic plague

के वक्त में आया हुआ यह कानून, जिसे आप आज अमेंड कर रहे हैं, तो आप मान्यवर लोकमान्य तिलक का या उस दौर का इतिहास पढ़िए, तो यह कई दफा arbitrary arrests का भी कभी सबब बन जाता था। लोगों ने इस पर विस्तार से लिखा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में आपके ऑर्डिनेंस को invoke करके anti-CAA protestors arrest किए गए हैं। अब मैं Act में जो कुछ मूल चीजें हैं, उन पर आता हूँ। The Act does not define epidemic pandemic or dangerous pandemic, etc. यह Executive discretion पर छोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि इस पर आप थोड़ा विचार कर लीजिए। The Act allows the Central Government and State Governments to take measures and prescribe regulations to prevent their spread. I believe some kind of model, an enabling model should be provided to the States so that it could be taken. विधेयक महामारी के दौरान नागरिकों के obligation की बहुत विस्तार से बात करता है, लेकिन सरकार के दायित्व और कर्तव्यों पर थोड़ा मौन है, थोड़ी चुप्पी है। महामारी के दौरान सरकार को हासिल असीमित अधिकार देने के साथ-साथ आप नागरिकों के मानव अधिकारों को भी दीजिए, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। Act of violence को आप सिर्फ महामारी के दौरान छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा spread over किया जाए क्योंकि महामारी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसे अगर हमने ambiguity में छोड़ा तो थोड़ी मुश्किल होगी।

महोदय, मैं एक टिप्पणी और करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि doctors, nurses और healthcare professionals - ये सभी इस लड़ाई में हैं। आप अच्छा कर रहे हैं कि उन्हें एक sense of protection दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कई राज्यों के उदाहरण दे सकता हूँ, जहां उन्हें महीनों से तनखाह नहीं मिली है - nurses हड़ताल पर हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सर, मैं मानता हूँ कि प्रतीक का महत्व है कि पुष्प वर्षा हो - ये प्रतीक कभी-कभी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन प्रतीक को अंत नहीं मान लेना चाहिए कि पुष्प वर्षा कर दी, अब हमारा और कोई obligation नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोग प्रतीकों में जीने लगे हैं - ताली, थाली, पुष्प वर्षा - ये सब जरूरी हैं लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है, इंसानी ज़िंदगियों में दखल देना, उनकी ज़िंदगी के कोहराम को बचाना। मैं समझता हूँ कि वहां थोड़ी कमी रही है।

आखिर में, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। एक बार आप खुद ही याद कीजिए कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे television पर क्या चल रहा था। उस समय हम कोरोना के संक्रमण से नहीं लड़ रहे थे। हम लड़ रहे थे अपने लोगों से - टेले वालों पर attack हो रहा था, उनकी सब्जियों को फेंका जा रहा था। सर, हर ज़िंदगी महत्वपूर्ण है - और यह क्यों हुआ क्योंकि...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, "जय हिन्द" बोलने से पहले मैं सिर्फ 30 सेकेंड का समय लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अगर हमने शुरू से यह लड़ाई

[प्रो. मनोज कुमार झा]

लड़ी होती तो हमारे समाज में इतने बाड़े नहीं होते, इतने barricades नहीं होते, सोच और समझ में इतनी संकीर्णता नहीं होती। आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम बीमारी से कम, बीमार से ज्यादा लड़ रहे हैं। हमने कोरोना को ऐसा बना दिया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में हर आदमी पॉज़िटिव होने के बाद भी बताता नहीं था कि वह कोरोना पॉज़िटिव है। यह सोच कहां से आयी? यह सोच अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयी। महोदय, इन बातों को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इनका ध्यान रखें, जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): It is so glad to see you there. Sir, everybody will agree that this Bill...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have two minutes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, we have three minutes. Please don't take away the time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please start.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the Government has come up with a Bill. The intentions are really good. I believe something more needs to be added. I sincerely hope that the hon. Health Minister, who is a noble doctor, a genuine man, will respond to our proposals very positively when he will respond to the discussion. My first point is this. Among the healthcare warriors, doctors, nurses and the paramedics, of course, what they are doing is immensely great. They should be protected, no doubt. But along with them, the karmcharis, the safai karmcharis, the sweepers, the people who are down below, their safety is also equally important and they should be addressed properly. Sir, these days showed to the whole world one truth that is about the greatness of physical labour. Everybody knows that without them, no work can be successful. The real warriors are the warriors down below. So please take care of them in a proper way. My next point is this. There is violence, violence not only from outside, but from inside also mainly in the private hospitals. I may call it the five star private hospitals. The position is that the situation in hospitals is very, very bad. The health warriors, the Corona warriors, their experiences are very bitter. From this city of Delhi, I can narrate minimum ten instances. A nurse from Delhi, she was threatened and put to over duty and she got affected with Covid-19. Then the management imposed charges on that

poor lady. From that hospital, without the PPE kits, she was forced to work and then when she got affected, she was asked to pay the bills there. This is the situation. Such kind of looting has to be stopped. One more thing. Everybody in this House raised an issue which is the true way of expressing it. Physical distancing or social distancing, I believe that it is high time as a policy; the Government should say, 'this is not social distancing but physical distancing'. Sir, one more sentence. We have a great drama club in Kerala which is called the KPAC. In one of the dramas, early dramas, 'Aswamedham', the drama posed a question to the society, 'Whether disease is a crime or not'? No, no. Disease is not a crime. With that in mind, the people, the karamcharis, the poor, the warriors, the doctors, the nurses, the paramedics, all of them should be protected and the private looters have to be taken into consideration and they should be prevented from looting the people.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SAMBIT PATRA): Thank you, hon. Member. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. You have two minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving this opportunity. I congratulate you for being on the Chair. The Government has brought the Amendment through Ordinance. Now, they brought the Bill to replace the Ordinance. The attacks on healthcare personnel and their property were widely reported during the lockdown. The proposed new sections intend to protect and save the healthcare personnel, particularly, doctors, who are frontline warriors fighting against corona. If care is taken to ensure that all essential personal kits are available to doctors, this Bill will be a much effective one. If the Government organization fails to provide and extend all facilities/equipments to doctors, what is the remedy available for those doctors to redress their grievances? So, I urge the hon. Minister to consider it. It is not against the persons, if the State is also indulged in these types of activities, that provision has to be applied to respective Governments also. For example, in the State of Andhra Pradesh, in Visakhapatnam, one doctor, Dr. Sudhakar, was suspended for raising voice against non-availability of Personal Protection Kits. Not even mask was provided to them.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: When they raised voice to draw the attention of the Government, they were victimized, suspended from service. That

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

doctor is still under suspension. This is the state of affair in the State of Andhra Pradesh. The High Court was forced to take *suo moto* cognizance of the case against the State of Andhra Pradesh and referred the matter to the CBI. Likewise, a private doctor, Dr. Ramesh was harassed and haunted like anything by the police under...
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, speak on the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: It is the subject listed by the Chair. The State itself involved. He was forced to approach the hon. High Court to seek protection from the State Government. Due to non-supply of proper kits etc. in Andhra Pradesh, like, Ongole, Anantapur, Tirupati, Srikakulam, Kurnool, Visakhapatnam, Kadapa, Nellore, Rajahmundry, Tenali, etc. -- there were at least 20 places -- some of the junior doctors, nurses have conducted dharnas against the State Government for non-supply of the material, PPE kits etc. If the Government is indulged in such activities, it is for the Central Government to take care of it. The Central Government has provided huge funds to the State Government. There are allegations that the funds are misutilised and corruption allegations are there in purchasing the kits etc. At this stage, it is high time for the Central Government to intervene and advise the State Government not to indulge in any activities, any violence against the doctors. I urge the hon. Minister of Health to take care of it personally and note down the incidents which have happened in the State of Andhra Pradesh. Sir, this is direct violence against the doctors and frontline warriors, who have to run the hospitals. The Central Government should take care of it. Finally, I would like to request the hon. Minister of Health to attend the grievances of the doctors and nurses and non-supply of the materials and register the case against them to do justice...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, we should come to the rescue of the doctors who are victims in the hands of the States and give necessary protection to them and give proper advice to the State Governments to set things right.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I would certainly say that this Bill gives a feeling of safety to the medical personnel and boosts their morale while treating the epidemic-affected. But, Sir, I feel that this is absolutely a knee-jerk reaction.

I think, the Government should have thought of a better legislation which would have provided protection to doctors and other personnel. Not only during the time of the epidemic, there are incidents, no doubt, but, in normal circumstances, there are even more incidents that we have witnessed against the doctors. Therefore, I think, the Government should have come up with a better legislation. Also, it is not just the doctors, but, as my earlier colleagues have also mentioned, even the allied workers. Sir, nobody has talked about the ASHA workers. We have read and seen on the television that ASHA workers used to go to every home to take a survey. One, they have not been paid for their services, nobody has even bothered and secondly, they have not been given any kind of protection. So, where do the ASHA workers figure in this legislation? Sir, I want to point out even one more thing that we always come up with multiplicity of legislations. All these provisions should have gone under the Indian Penal Code. In the State of Maharashtra, in 2018 itself, we amended Section 332, 'causing hurt to public servant' and Section 353, 'assault or criminal force against public servant'. We enhanced the punishment. Not just this, this covers public servants, police and Government doctors also. I would say that the Government of India should have gone even a step forward that not just the public servants, but, even the doctors and the allied workers working in the private sector, they also should have been given protection, and this would really have brought justice to all of them. Lastly, Sir, we also need to go to the root problem as to why this is happening. I am glad that the Bill which has been given, in Clause 3D says, 'it recognizes culpable mental state'. So, only if there is a culpable mental state will the accused be convicted? Sir, this means that there is a reason why the patient or the relatives of the patient gets agitated against the system. So, have we thought of a system, have we thought of any guidelines as to how we can bring better coordination between the doctors' community and the patients or the relatives of the patients, so that, there are no agitation kind of purposes? Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हैल्थ वर्कर्स ने जिस तरीके से देश की सेवा की है इस आपदा के समय पर, उनके हम सभी आभारी हैं और उनके प्रति हर बार आभार व्यक्त करना हमेशा कम ही रहेगा, तो हम इस बिल का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ मैं यह मानती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, हमारी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, उनको सेफ्टी ईक्विपमेंट्स दिए जाएं। हमने कई बार देखा है कि उनको पीपीई किट्स और सेफ्टी ईक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे।

[श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी]

वे लोग 16-16 घंटे काम कर रहे होते थे, उस पर भी निर्णय होना चाहिए। उनको समय पर वेतन मिलना चाहिए और जिस तरीके से महाराष्ट्र ने मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक कम्पनसेशन पैकेज तय किया था, वह कम्पनसेशन पैकेज इस बिल का हिस्सा होना चाहिए था, ऐसा मैं मानती हूँ। यहां पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी ही नहीं, हमारे पुलिसकर्मी हों, हमारी आशा वर्कर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, सेनिटेशन वर्कर्स हों, उन सबका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैल्थ कवरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने इस बिल में कहीं देखा नहीं है कि उसकी चर्चा की गई हो। सर, एक महत्वपूर्ण सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा कि उन्होंने इसको आपदा का अवसर बना लिया था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पाई थीं या उनको बहुत मनमाने दाम चुकाने पड़े थे, अगर epidemic के समय में उस पर भी किसी तरह की पाबंदी लगाई जाएगी, तो अच्छा होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सर, मेरा एक आखिरी सुझाव है, जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और उसको कहकर मैं भी जय हिंद करूंगी कि आपदा का अवसर दूढ़ते-दूढ़ते कुछ राजनैतिक पक्ष भी हमला करते हैं। वे देश के प्रजातंत्र पर हमला करते हैं, राज्य सरकारों पर करते हैं। वे राज्य सरकारों को अस्थायी करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस समय पर महामारी से जूझ रही हैं। अगर उनके पास इतना धन-बल है, तो उसको compulsorily पी.एम. केयर्स फंड में डाला जाए, जिससे जो देश के लाभार्थी हैं, उनको इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि मिल सके।

सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, जय हिंद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद प्रियंका जी। माननीय वीर सिंह जी, आप बोलिए।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं "महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020" का समर्थन करता हूँ। महोदय, इस महामारी (संशोधन) विधेयक में 123 वर्षों के बाद संशोधन किया जा रहा है। इस महामारी से बचने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, आशा वर्कर्स हैं, जो इसमें कार्य कर रहे हैं और उन पर जो हमले होते हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यह कानून लाया गया है। यह बहुत अच्छा कदम है। यह जो कानून बनाया गया है, हम इसकी सराहना करते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि जब यह कोरोना महामारी हमारे देश में आई, तो हमारे देश में जो 27 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, जो factories में, कारखानों में और विभिन्न जगहों पर कार्य कर रहे थे, जब वे उन स्थानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ गए, तो उनके जाने की व्यवस्था नहीं की गई। उनमें से बहुत-से रास्ते में मर गए, बहुत-सी महिलाओं की रास्ते में ही delivery हो गई और उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में सरकार को उन मजदूरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकारों को चिह्नित किया गया था, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कुछ निजी अस्पतालों को भी चिह्नित किया गया था, लेकिन निजी अस्पतालों में जो इलाज हुआ, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता प्रो. राम गोपाल यादव ने भी बताया है कि एक दिन का एक-एक लाख रुपये से ज्यादा का खर्च आया, उस स्थिति में गरीबों की इलाज कराने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज 50 लाख से ज्यादा cases हो गए हैं, यदि इसकी सही तरीके से गणना हो, तो 50 लाख नहीं, बल्कि 2 करोड़ cases निकलेंगे। इस खर्च के डर की वजह से, इस सरकार की अव्यवस्था की वजह से कम से कम 50 परसेंट मरीज अपना इलाज नहीं करा पाए। कोई काढ़ा पीकर ठीक हो गया, कोई मर गया। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उन प्राइवेट अस्पतालों में जो मनमानी की गई है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मिलीभगत से सरकारी पैसे की जो लूटपाट हुई है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद माननीय वीर सिंह जी।

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Appropriation (No.3) Bill, 2020

(II) The Appropriation (No.4) Bill, 2020

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No.3) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation